

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

॥ आदेश ॥

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (कोटि क्रमांक-94/2024, बिहार आपूर्ति सेवा), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी, पूँचम्पारण सम्प्रति सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी के विरुद्ध महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पत्रांक-4961 दिनांक-29.10.2025 द्वारा परिवहन अभिकर्ताओं को विपत्र बिना जाँच किये अनियमित भुगतान करने, जिला कार्यालय में संधारित होने वाले सी0एम0आर0 भुगतान पंजी, सूची संचिका एवं अन्य पंजी का विधिवत् संधारण नहीं करने, सेन्ट्रल स्टॉक रजिस्टर के संधारण में अनियमितता बरतने, Contingency मद में एक साथ मोटी राशि बिना जी0एस0टी0 विपत्र के राशि भुगतान करने, जिला प्रबंधक के उपयोग में लाये जा रहे वाहन का त्रुटिपूर्ण एकरारनामा एवं गलत किराया निर्धारित करने, जिला कार्यालय के अधीन कार्यरत कर्मियों का वर्ष 2024-25 अन्तर्गत वेतन विवरणी तथा आयकर विवरणी प्राप्त किये बिना ही फरवरी, 2025 का वेतन भुगतान करने, खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 अन्तर्गत मिलरों के निबंधन में अनियमितता बरतने, जिला कार्यालय स्तर पर गन्नी बेल्स से संबंधित सेन्ट्रल स्टॉक रजिस्टर यथा-इनवार्ड रजिस्टर/आउटवार्ड रजिस्टर आदि संधारित नहीं करने, जिला कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों की सेवा पुस्तिका अद्यतन नहीं करने, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के डीलर मार्जिन मनी के भुगतान में शिथिलता बरतने, रोकड़ बही एवं बैंक समाधान विवरण अद्यतन नहीं करने तथा अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में प्रमादी मिलरों/दोषी कर्मियों के विरुद्ध दर्ज नीलामपत्र वाद में सन्निहित राशि पर भारित सूद की राशि वसूली नहीं करने के साथ अपने कार्यों के प्रति शिथिलता बरतने संबंधी आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक-3032 दिनांक-07.11.2025 द्वारा इनसे लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री श्रीवास्तव द्वारा विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ कि इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप मुख्य रूप से अंकक्षेप आपत्ति के आधार पर है, जबकि अंकक्षेप आपत्ति के निराकरण/Clarification हेतु इन्हें समुचित अवसर प्रदान किया जाना समीचीन था। तदालोक में विभागीय पत्रांक-3568 दिनांक-10.12.2025 द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना से अंकक्षेप आपत्ति के निराकरण के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पत्रांक-4112 दिनांक-28.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अधिकांश त्रुटियाँ लेखाओं के संधारण से संबंधित है, जिसमें से अधिकांश अंकक्षेप आपत्तियों का निराकरण जिला कार्यालय द्वारा कर लिया गया है तथा आरोप संख्या-1(ix) एवं 5(ii) के लिए की गई अधिक भुगतान का समायोजन संबंधित अभिकर्ता/सेवा प्रदाता के विपत्र से किया जा सकता है। तदोपरान्त पुनः विभागीय पत्रांक-3398 दिनांक-24.06.2026 द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना से संबंधित अभिकर्ता को किये गये अधिक भुगतान की राशि की वसूली के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

इस क्रम में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पत्रांक-8301 दिनांक-12.08.2026 के माध्यम से उक्त के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए

प्रतिवेदित किया गया कि आरोप की कंडिका-1(ix) अन्तर्गत अंकेक्षण आपत्ति में वर्णित समायोजन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है तथा 5(ii) अन्तर्गत वाहन स्वामी को अधिक भुगतान की गई राशि 27,000/- रुपये की सम्पूर्ण वसूली कर ली गयी है तथा निगम का कोई पावना शेष नहीं है। श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन, उपलब्ध अभिलेख तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप स्थापित नहीं होता है।

फलतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (कोटि क्रमांक-94/2024, बिहार आपूर्ति सेवा), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी, पूंचम्पारण सम्प्रति सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी को भविष्य में सचेत रहकर कार्य करने का निदेश देते हुए प्रस्तुत प्रक्रम को संचिकास्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (कोटि क्रमांक-94/2024, बिहार आपूर्ति सेवा), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी, पूंचम्पारण सम्प्रति सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी को भविष्य में सचेत रहकर कार्य करने का निदेश देते हुए प्रस्तुत आरोप प्रक्रम को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र08-गो0आ0(मोतिहारी)-19/2025-5461 खाद्य, पटना/दिनांक-01/09/2026
प्रतिलिपि-

1. प्रबंध निदेशक एवं महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. उप सचिव (कनीय प्रभार), प्रशाखा-03 एवं आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (कोटि क्रमांक-94/2024, बिहार आपूर्ति सेवा), सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, E-Mail ID : jkspcmag2802@gmail.com, Mobile No. 9661837511 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।